



149

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर मध्यप्रदेश

उज्जी तनय अच्छे लाल अहीर निवासी ग्राम डडिया तह. चंदला जिला छतरपुर म.प्र.

I/निगरानी/छतरपुर/भूरा/2018/1652

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

.....अनावेदक / प्रतिनिगसकार

म.प्र. शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.संहिता 1959 के अंतर्गत निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्र.क. 68/स्व.प्रे.निग./2012-13, म.प्र. शासन विरुद्ध उज्जी आदेश दि. 16.08.2017 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानीकर्ता की ओर से सादर विनय प्रस्तुत है:-

यह कि, संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि, ग्राम पंचमनगर स्थित भूमि ख.नं. 251, 273, 279 किता 3 रकवा कमशः 1.011, 0.139, 0.378 हेक्टे. पूर्व तह लवकुशनगर जिला छतरपुर की भूमि का आवेदकगण को वर्ष 1984 के पहले से कब्जा होने के कारण श्रीमान नायब तहसीलदार बछौन तह. लवकुशनगर के रा.प्र.क. 209/अ-19 4'/1987-88 में पारित आदेश दि. 29.06.88 को विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत आवेदक को पात्र मानते हुए उपरोक्त भूमि का पट्ट प्रदान किया गया था। उक्त व्यवस्थापन आदेश दि. 29.06.88 के बाद 28 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद अधीक्षक भूअभिलेख के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा न्यायालय प्र.क. 68/स्व.प्रे.निग./2012-13 पंजीबद्ध कर मिथ्या जांच के आधार पर नायब तहसीलदार बछौन के व्यवस्थापन आदेश दि. 29.06.88 को अवैधानिक रूप से स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर आवेदक का पट्टा अवैधानिक तरीके से लम्बे अंतराल बाद दि. 16.08.2017 आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता यह निगरानी मान. न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

निगरानी के आधार

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3

[Signature]

श्री उज्ज्वल कुमार पाठक ...
... अधीक्षक सागर द्वारा प्रस्तुत.
अधीक्षक
12 FEB 2018
12-2-18

27
23/02/18

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1652

उज्जी विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 68/स्वप्रेरणा निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: right;">(आर.के.जेन) सदस्य 07/3/19</p>